संख्या: 1127/I/2005-04(1)/27/05

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
ऊर्जा एवं अनुभाग,
उत्तरांचल शासन।

ऊर्जा विभाग, देहरादून: दिनांक 29 अगस्त, 2005

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 में विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु शुल्क अदा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3374/I/2005-04(1)/27/05 दिनांक 20.07.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिटेनरशिप पर विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु 16 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में रु0 13.55 करोड़ एवं मद संख्या 42-अन्य व्यय में रु0 15.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1- निवर्तन पर रखी जा रही उक्त धनराशि से आवश्यकतानुसार मदवार स्वीकृति के आदेश ऊर्जा विभाग द्वारा नियमानुसार अपने स्तर से निर्गत किए जायेंगे।

2- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय और जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है इसका व्यय केवल उसी प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये भुगतान किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और व्यय की गई धनराशि का योजनावार विवरण ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 2801-बिजली-80-सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य-03-परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारी तथा रिपोर्टिंग हेतु व्यय-00-16-व्यावसायिक सेवा तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान तथा 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1365/XXVII(3)/2005, दिनांक 24 अगस्त 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः 4127(i) /I/2005-04(1)/27/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– महालेखाकार, उत्तरांचल।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून को दो प्रति सहित।
3– निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– CEO, UDeC, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3,
6– प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव